5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

102

PBR/ निगरानी/ मन्दसौर/ भू-रा/ 2017/1735

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

1. परसराम पिता नानालाल जी जाति मीणा आयु- 55 वर्ष करीब धंधा कृषि निवासी ग्राम जमूनिया तेहसील शामगढ जिला मंदसौर संभाग उज्जैन मध्य-प्रदेश

2. मन्नालाल पिता नानालाल जी जाति मीणा आयु- 60 वर्ष करीबन धंधा कृषि निवासी ग्राम जमूनिया तेहसील शामगढ जिला मंदसौर संभाग उज्जैन (मध्य-प्रदेश) -- निगरानीकर्ता

विरूद्ध

कालुसिंह पिता उदेसिंह जी जाति गुर्जर आयु- वर्ष करीबन धंधा कृषि निवासी ग्राम ढाबलागुर्जर तेहसील शामगढ जिला मंदसौर मध्य-प्रदेश ---- प्रतिप्रार्थी

निगरानी अर्ज अन्तर्गत धारा-50 मध्य-प्रदेश भू राजस्व संहिता

-=-

माननीय महोदय ,

निगरानीकर्तागणो की ओर से यह निगरानी अर्ज माननीय अधिनस्थ योग्य न्यायालय श्रीमान तेहसीलदार महोदय शामगढ के व्दारा रेवेन्यू प्रकरण क्रमांक 44/ब-6/2015-16 में दिनांक 23/08/16 को पारित आदेश से असंतुष्ट व दुखी होकर के, प्रस्तुत की जाकर के निम्न निवेदन है कि-

1. यह कि माननीय अधिनस्थ योग्य न्यायालय के व्दारा दिनांक 23.08.16 को पारित आदेश विधी एव विधान के विपरित होकर प्रथम द्रष्टया ही निरस्तनीय है ।

2. यह कि अधिनस्थ योग्य न्यायालय के व्दारा दिनांक 23.08.16 को पारित आदेश नैसर्गिक न्याया के विपरित होकर निरस्तानिय है.

3. यह कि निगरानीकर्तागणो की ओर से सदर प्रकरण में लंबित आवेदन पत्र जो की प्रारंभिक आपत्ति थी पर बिना किसी गुण दोषो के विचार कर दिनांक 23.08.16 को आदेश पारित करने में विधी एवं विधान की भूल

डाक की प्राप्ति
12-6-17

परसराम
मन्नालाल

शेष पेज 2 ....

(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/मंदसौर/भू.रा./2017/1735

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	

6